रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2010/श्रावण 5, 1932

No. 211] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2010/SHRAVANA 5, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2010

सं. 13018/14/2010-अ.भा.से. (I).—भारत के राजपत्र (असाधारण), दिनांक 2-1-2010 के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा, 2010 की नियमावली में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2010 के नियम 2 के नीचे टिप्पण (III) को शामिल करते हुए निम्नलिखित संशोधन निम्नानुसार करता है:—

"कोई अभ्यर्थी, जो भा.प्र.से./भा.पु.से. के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हो, विभिन्न संवर्गों के लिए प्राथमिकता निर्दिष्ट करते समय अत्यंत सावधान रहेंगे । अभ्यर्थी को अपने विस्तृत आवेदन-पत्र (डीएएफ) [जिसे सिविल सेवा (मुख्या.) परीक्षा के लिए उनके चयन के मामले में भरा जाना है], में प्राथमिकता के क्रम में सभी संवर्गों को निर्दिष्ट करने की सलाह दी जाती है । यदि वह किसी भी संवर्ग के लिए कोई प्राथमिकता नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसकी किसी संवर्ग के लिए कोई विशिष्ट प्राथमिकता नहीं है । यदि उसे इन संवर्गों में से किसी एक संवर्ग में आवंटित नहीं किया जाता है, उस स्थिति में उसे शेष संवर्गों में से किसी एक संवर्ग जिसमें रिक्तियां हैं, में उन सभी अभ्यर्थियों को आवंटित करने के बाद आवंटित किया जा सकता है ।"

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव (एस-I)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2010

No. 13018/14/2010-AIS (I).—In the Rules for the Civil Services Examination, 2010 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary), dated 2-1-2010, the Central Government hereby makes the following amendment by inserting Note (III) below Rule 2 of Civil Services Examination Rules, 2010 as follows:—

"A candidate who wishes to be considered for IAS/IPS shall be very careful while indicating preferences for various cadres. The candidate is advised to indicate all the cadres in the order of preference in his/her Detailed Application for (DAF) [which is to be filled in case of his/her selection for the Civil Services (Main) Examination]. In case he/she does not give any preference for any cadre it will be assumed that he/she does not have a specific preference for any cadre. If he/she is not allotted to any one of the cadres for which he/she has indicated preference, he/she shall be allotted to any of the remaining cadres in which there are vacancies after allocation of all the candidates who can be allocated to those cadres in accordance with their preferences."

S. S. SHUKLA, Under Secy. (S-I)

2936 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.